

बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या- मो०-47/15-

30/0

/कृ०, पटना, दिनांक-25-6-2015

प्रेषक,

रामजी सिंह,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(*) अनौपचारिक रूप
से परामर्शित।

(*) द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना।

विषय:-

खरीफ 2015 में अनियमित मॉनसून/बाढ़/सूखे जैसी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर वर्ष 2015-16 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु 90.7175 करोड़ रुपये तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए 24.2825 करोड़ रुपये, कुल 115.00 करोड़ रुपये (एक अरब पन्द्रह करोड़ रुपये) की लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा इसके अधीन सामान्य जाति के लिए 89.70 करोड़ रुपये (नबासी करोड़ सत्तर लाख रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश:-

स्वीकृत।

निदेशानुसार, खरीफ 2015 में अनियमित मॉनसून/बाढ़/सूखे जैसी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर वर्ष 2015-16 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु 90.7175 करोड़ रुपये तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए 24.2825 करोड़ रुपये, कुल 115.00 करोड़ रुपये (एक अरब पन्द्रह करोड़ रुपये) की लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा इसके अधीन सामान्य जाति के लिए 89.70 करोड़ रुपये (नबासी करोड़ सत्तर लाख रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. खरीफ फसलों के एक एकड़ क्षेत्र में एक सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल खपत अनुमान के अनुसार 25 रु० प्रति लीटर डीजल पर अनुदान के आलोक में 250 रु० प्रति एकड़ प्रति सिंचाई की दर से अनुदान अनुमान्य किया जायेगा। एक किसान को धान का बीचड़ा बचाने हेतु 2 सिंचाई के लिए तथा धान एवं मक्का की रोपनी एवं खड़ी फसल हेतु एक ही खेत के लिए अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 750 रु० प्रति एकड़ की दर से अनुदान का भुगतान किया जायेगा। खरीफ मौसम की अवधि में उगाये जाने वाले किसी अन्य फसल यथा सब्जी आदि की सिंचाई की आवश्यकता होने पर प्रशासी विभाग द्वारा स्वीकृत राशि की सीमा में सिंचाई हेतु डीजल अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है।

3. जिलों में डीजल अनुदान वितरण की आवश्यकता का आकलन सम्बन्धित जिला पदाधिकारी द्वारा कृषि टास्क फोर्स की बैठक में करने के पश्चात आवश्यकता के अनुरूप डीजल अनुदान वितरण का निर्णय लिया जा सकेगा।

4. यह अनुदान सभी प्रकार के किसानों को देय होगा। अनुदान की राशि पंचायत क्षेत्र के किसानों के अतिरिक्त नगर निकाय क्षेत्र के किसानों को भी देय होगा। नवार्ड फेज 8 में निर्मित राजकीय नलकूप जो किसानों/किसान समितियों के द्वारा परिचालित किए जाते हैं उनके द्वारा भी डीजल कय कर सिंचाई करने पर अनुदान का लाभ देय होगा।

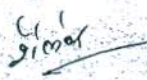
5. उक्त फसलों के सिंचाई के लिए 30 अक्टूबर, 2015 तक डीजल क्रय करने पर यह अनुदान देय होगा। 15 नवम्बर तक सभी किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/हल्का कर्मचारी/पंचायत सेवक अनिवार्य रूप से सभी किसानों के सत्यापित दावे प्रखंड को उपलब्ध करा देंगे। प्रखंड द्वारा तुरंत आवश्यक राशि की निकासी की जायेगी। 30 नवम्बर तक सभी दावे का भुगतान निश्चित रूप से कर दिया जायेगा। (अनुसूची-1 संलग्न)

6. चालू खरीफ तथा रबी मौसम में फसल स्थिति की लगातार समीक्षा की जायेगी। आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी तथा राज्य स्तर पर प्रशासी विभाग के द्वारा योजनान्तर्गत किसानों को सहायता प्रदान करने के इस कार्यक्रम को शुरू करने का निर्णय लिया जा सकेगा।

7. आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर आगामी रबी फसल से भरपूर उत्पादन के लिए डीजल अनुदान की अवधि का विस्तार प्रशासी विभाग द्वारा अनुमान्य किया जा सकता है। परंतु व्यय की सीमा योजना में स्वीकृत राशि के अधीन ही होगा।

8. डीजल अनुदान भुगतान की प्रक्रिया निम्न प्रकार से होगी:-

- प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा पंचायत विशेष के लिए आवेदन लेने/सत्यापन करने हेतु किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/हल्का कर्मचारी/पंचायत सेवक में से किसी एक को प्राधिकृत किया जायेगा।
- किसान डीजल का क्रय कर अपने खेत की सिंचाई करेंगे। डीजल का क्रय मात्र अधिकृत बिक्रेता से किया जायेगा एवं अधिकृत विक्रेताओं के द्वारा निर्गत कैंशमेमो ही आवेदन के साथ लगाये जायेंगे। कैंशमेमो के साथ विभाग द्वारा विहित प्रपत्र में किसान अपना आवेदन किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/हल्का कर्मचारी/पंचायत सेवक को समर्पित करेंगे। किसान पावती रसीद अवश्य रूप से ले लेंगे तथा इसे संरक्षित रखेंगे। आवेदन पत्र में किसान ने जिस खेत की सिंचाई के विरुद्ध डीजल अनुदान का दावा किया है, उस खेत के आस-पास खेती करने वाले किसान से यह सत्यापन करायेंगे कि उन्होंने सिंचाई किया है।
- किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/हल्का कर्मचारी/पंचायत सेवक अपने स्तर पर प्राप्त आवेदन का सत्यापन खेत में जाकर करेंगे। सत्यापन का कार्य सिंचाई के एक सप्ताह के अंदर किया जायेगा। किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/हल्का कर्मचारी/पंचायत सेवक सत्यापित आवेदन पर डीजल अनुदान के लिए अनुशंसित दर्ज करेंगे तथा सिंचाई की गई रकबा एवं कैंशमेमो के अनुसार अनुशंसित राशि दर्ज करेंगे। किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/हल्का कर्मचारी/पंचायत सेवक अपने स्तर पर एक रजिस्टर रखेंगे जिसमें आवेदन को तिथि के अनुसार दर्ज किया जायेगा। इस रजिस्टर में आवेदन की प्रगति भी अंकित की जायेगी।
- किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/हल्का कर्मचारी/पंचायत सेवक के द्वारा माह के 15 तारीख से पूर्व प्राप्त आवेदन में से सत्यापित आवेदन तथा अनुशंसित राशि की समेकित सूची माह के 15 तारीख को निश्चित रूप से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजी जायेगी। 15 तारीख एवं 30 तारीख के बीच प्राप्त आवेदन के संदर्भ में 30 तारीख को सत्यापित आवेदन तथा अनुशंसित राशि की समेकित सूची प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजी जायेगी। इस प्रकार किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/हल्का कर्मचारी/पंचायत सेवक के द्वारा प्रत्येक माह में दो बार प्रखंड विकास पदाधिकारी को समेकित सूची भेजी जायेगी। किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/हल्का कर्मचारी/पंचायत सेवक अपने कार्य क्षेत्र के किसानों से प्राप्त आवेदन (स्वीकृत एवं अस्वीकृत) को उक्त समेकित सूची के साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेज देंगे।
- कृषि विभाग के द्वारा संबंधित जिला पदाधिकारी को राशि आवंटित की जायेगी। जिला पदाधिकारी आवश्यकता के अनुसार प्रखंड विकास पदाधिकारी को स्वीकृत राशि की सीमा में राशि उपावंटित

की जायेगी। प्रखंड विकास पदाधिकारी किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/हल्का कर्मचारी/पंचायत सेवक से प्राप्त सूची के अनुसार राशि की निकासी करेंगे। निकासी के पश्चात डीजल अनुदान अनुश्रवण सह निगरानी समिति की देखरेख में डीजल अनुदान का वितरण किया जायेगा। वितरण निकासी के एक सप्ताह के अन्दर सुनिश्चित किया जायेगा। अनुदान की राशि लाभार्थी के बैंक खाता में RTGS/Account Payee Cheque के माध्यम से किया जायेगा। नगद भुगतान वर्जित किया जायेगा। इसकी सूचना अनुश्रवण सह निगरानी समिति के सभी सदस्यों को दी जायेगी। पारदर्शिता के लिए प्रखंड/पंचायत के सूचना पट पर लाभुक किसानों की सूची प्रदर्शित की जायेगी।

- डीजल अनुदान मद में निकासी की गई राशि का वितरण पंचायत क्षेत्र के किसानों के लिए डीजल अनुदान अनुश्रवण सह निगरानी समिति की देखरेख में किया जायेगा। इस समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा:-

i. मुखिया	-	अध्यक्ष
ii. सरपंच	-	सदस्य
iii. पंचायत वार्ड के सदस्यगण	-	सदस्य
iv. विगत चुनाव में मुखिया पद के लिए हारे हुए निकटम उम्मीदवार	-	सदस्य
v. विगत चुनाव में सरपंच पद के लिए हारे हुए निकटम उम्मीदवार	-	सदस्य
vi. पंचायत समिति के संबंधित सदस्य	-	सदस्य
vii. संबंधित किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/हल्का कर्मचारी /पंचायत सेवक	-	सदस्य।

- नगर क्षेत्र के किसानों को डीजल अनुदान का भुगतान निम्न प्रकार से गठित डीजल अनुदान अनुश्रवण सह निगरानी समिति की देखरेख में किया जायेगा। इस समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा:-

I. नगर निगम/नगर निकाय/नगर पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष	-	अध्यक्ष
II. नगर निगम/नगर निकाय/नगर पंचायत के वार्ड सदस्य	-	सदस्य
III. विगत चुनाव में नगर निकाय/नगर वार्ड/नगर पंचायत के नगर वार्ड सदस्य पद हेतु हारे हुए निकटम उम्मीदवार (प्रतिद्वंदी)	-	सदस्य
IV. नगर निगम/नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी	-	सदस्य
V. संबंधित किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/हल्का कर्मचारी /पंचायत सेवक	-	सदस्य।

- वितरण के पश्चात राशि एवं किसानों से संबंधित पूर्ण विवरण प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा संधारित की जायेगी।
- यदि किन्हीं किसानों को अपने आवेदन के संदर्भ में किसी प्रकार की शिकायत होगी तो वे लिखित रूप में यह शिकायत डीजल अनुदान अनुश्रवण सह निगरानी समिति के समक्ष रखेंगे। ऐसे सभी शिकायतों का 15 दिनों के अंदर किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/हल्का कर्मचारी/पंचायत सेवक के द्वारा जांच की जायेगी। जो किसान वांछित अर्हता रखते हैं उन्हें अनुदान का भुगतान अगले कैम्प में किया जायेगा।

9. अनियमित मॉनसून, बाढ़, सूखे जैसी आपातकालीन परिस्थितियों में वैकल्पिक फसलों की खेती की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इन स्थितियों में आपातकालीन कृषि योजना को लागू करने के लिए किसानों को उपयुक्त फसलों के बीज निःशुल्क उपलब्ध कराने के मद में 24.2825 करोड़ रुपये के व्यय का आकलन किया

20

11/11/2024

गया है। आकस्मिक फसल योजना को लागू करने के लिए कृषि निदेशक/जिला कृषि पदाधिकारी को राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

10. धान के लिए 3 सिंचाई, धान विचड़ा के लिए 2 सिंचाई एवं मक्का के आच्छादन के लक्ष्य के 3 सिंचाई के अनुसार धान तथा मक्का के आच्छादन के आधार पर डीजल अनुदान मद में 90.7175 करोड़ रुपये अधिकतम व्यय की आवश्यकता हो सकता है। इसी प्रकार आकस्मिक फसल योजना के लिए 24.2825 करोड़ रुपये की आवश्यकता हो सकता है। कुल मिलाकर अधिकतम 115.00 करोड़ रुपये का व्यय हो सकता है। योजना कार्यान्वयन के संबंध में यथा आवश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकता है।

11. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय "मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-मांग सं०-1-उपशीर्ष-0103-बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना, विपत्र कोड-P2401001090103, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-5683, विषय शीर्ष- 33 01 सब्सिडी" मद में वर्ष 2015-16 में उपबंधित 8970.00 लाख रुपये से विकलनीय होगा।

12. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- मो०-47/15 के पृ०सं०-16/टि. पर दिनांक- 25.6.15 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(15/25/6/15)
(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 3010

/क०, पटना, दिनांक 25-6-2015

प्रतिलिपि :- सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(15/25/6/15)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 3010

/क०, पटना, दिनांक 25-6-2015

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(15/25/6/15)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 3010

/क०, पटना, दिनांक 25-6-2015

प्रतिलिपि : मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, बिहार, पटना/कृषि विभाग के सभी संबंधित पदाधिकारी/योजना एवं बजट शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप कृषि निदेशक (सूचना) को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(15/25/6/15)
सरकार के संयुक्त सचिव।

32

21/6/15

अनुसूची - 1

वर्ष 2015-16 में सिंचाई हेतु डीजल अनुदान/आकस्मिक फसल योजना के लिए स्वीकृत राशि (लाख रु.)

क्र०	कार्यान्वयन एजेंसी	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल
1	2	3	4	5	6
1	कृषि निदेशक, बिहार	1894.03500	485.65000	48.56500	2428.25000
2	जिला पदाधिकारी, पटना	231.96420	59.47800	5.94780	297.39000
3	जिला पदाधिकारी, नालन्दा	246.69060	63.25400	6.32540	316.27000
4	जिला पदाधिकारी, भोजपुर	219.07860	56.17400	5.61740	280.87000
5	जिला पदाधिकारी, बक्सर	172.13040	44.13600	4.41360	220.68000
6	जिला पदाधिकारी, रोहतास	361.87320	92.78800	9.27880	463.94000
7	जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ)	202.51140	51.92600	5.19260	259.63000
8	जिला पदाधिकारी, गया	297.32040	76.23600	7.62360	381.18000
9	जिला पदाधिकारी, जहानाबाद	92.04780	23.60200	2.36020	118.01000
10	जिला पदाधिकारी, अरवल	78.24180	20.06200	2.00620	100.31000
11	जिला पदाधिकारी, नवादा	157.40400	40.36000	4.03600	201.80000
12	जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद	305.60400	78.36000	7.83600	391.80000
13	जिला पदाधिकारी, सारण	219.07860	56.17400	5.61740	280.87000
14	जिला पदाधिकारी, सिवान	213.55620	54.75800	5.47580	273.79000
15	जिला पदाधिकारी, गोपालगंज	189.61800	48.62000	4.86200	243.10000
16	जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	247.61100	63.49000	6.34900	317.45000
17	जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण	359.91540	92.28600	9.22860	461.43000
18	जिला पदाधिकारी, प० चम्पारण	295.47960	75.76400	7.57640	378.82000
19	जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी	183.17520	46.96800	4.69680	234.84000
20	जिला पदाधिकारी, शिवहर	46.94820	12.03800	1.20380	60.19000
21	जिला पदाधिकारी, वैशाली	149.12040	38.23600	3.82360	191.18000
22	जिला पदाधिकारी, दरभंगा	178.57320	45.78800	4.57880	228.94000
23	जिला पदाधिकारी, मधुबनी	298.24080	76.47200	7.64720	382.36000
24	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर	202.51140	51.92600	5.19260	259.63000
25	जिला पदाधिकारी, बेगूसराय	156.48360	40.12400	4.01240	200.62000
26	जिला पदाधिकारी, मुंगेर	84.68460	21.71400	2.17140	108.57000
27	जिला पदाधिकारी, लखीसराय	53.39100	13.69000	1.36900	68.45000
28	जिला पदाधिकारी, शेखपुरा	81.00300	20.77000	2.07700	103.85000
29	जिला पदाधिकारी, जमुई	131.63280	33.75200	3.37520	168.76000
30	जिला पदाधिकारी, भागलपुर	174.89160	44.84400	4.48440	224.22000
31	जिला पदाधिकारी, बांका	206.19300	52.87000	5.28700	264.35000
32	जिला पदाधिकारी, सहरसा	131.63280	33.75200	3.37520	168.76000
33	जिला पदाधिकारी, सुपौल	163.84680	42.01200	4.20120	210.06000
34	जिला पदाधिकारी, मधेपुरा	135.31440	34.69600	3.46960	173.48000
35	जिला पदाधिकारी, पूर्णिया	213.55620	54.75800	5.47580	273.79000
36	जिला पदाधिकारी, किशनगंज	159.24480	40.83200	4.08320	204.16000
37	जिला पदाधिकारी, अररिया	190.54620	48.85800	4.88580	244.29000
38	जिला पदाधिकारी, कटिहार	158.32440	40.59600	4.05960	202.98000
39	जिला पदाधिकारी, खगड़िया	86.52540	22.18600	2.21860	110.93000
	कुल	8970.00000	2300.00000	230.00000	11500.00000

32

31/10/16

आवेदन फार्म

सिंचाई के लिए डीजल पर अनुदान हेतु आवेदन-पत्र

डीजल का कैशमेमो
यहां चिपकायें।
यदि कैशमेमो आकार
में बड़ा हो तो पिन
लगाकर संलग्न करें।

1. पंचायत/नगर क्षेत्र..... 2. प्रखंड..... 3. जिला.....

4. किसान (आवेदक) का नाम.....

5. पिता/पति का नाम.....

6. पत्राचार का पता :

ग्राम.....

पोस्ट.....

थाना.....

दूरभाष/मोबाईल संख्या.....

7. कुल जोत का रकबा(एकड़ में)..... 8. बुआई की गई धान एवं मक्का के जोत का कुल रकबा.....

9. बैंक एवं शाखा का नाम जहाँ कृषक का खाता है 10. खाता संख्या.....

11. बैंक का आई० एफ० एस० सी०(IFSC) कोड

12. सिंचाई किए जाने वाले खेत की चौहद्दी :

उत्तर :

दक्षिण :

पूरब :

पश्चिम :

13. मैंने एकड़ खेत में सिंचाई के लिए लीटर डीजल (अधिकृत विक्रेता/पेट्रोल पम्प का नाम) से क्रय किया है। अधिकृत विक्रेता से प्राप्त कैशमेमो ऊपर निर्धारित स्थान पर चिपकाया गया है/संलग्न किया गया है। मेरे द्वारा पटवर्न दिनांक.....से तक किया गया है।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपर दिए गए विवरण सही हैं। इसमें कोई त्रुटि पाए जाने पर मैं अनुदान की राशि वापस कर दूँगा।

किसान (आवेदक) का पूरा नाम, हस्ताक्षर एवं तिथि

किसानों के खेत के समीप के खेत में खेती करने वाले का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक किसान मेरे खेत के नजदीक वाले खेत में खेती करते हैं। इन्होंने आवेदन में दर्शाये गये तिथि को सिंचाई किया है।

तिथि :/...../.....

नजदीकी किसान का पूरा नाम, पता एवं हस्ताक्षर

प्राप्ति रसीद

नाम पिता/पति का नाम ग्राम पंचायत

..... में डीजल अनुदान हेतु दिनांक को आवेदन प्राप्त किया।

प्राप्तकर्ता का नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर

नोट:-जो लागू नहीं हो उसे कृपया काट दें। अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

